MOM of Annual General Meeting

Affiliated to BCCI
bca@biharcricketassociation.com

दिनाक : 9 अक्टूबर 2021 09-10-2021
स्थान : द गोल्डन सनराइज, पाटलीपुत्रा कॉलोनी,पटना
समय : दिन के तीन बजे से
उपस्थिति : रजिस्टर के अनुसार

अध्यक्षता

माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने वार्षिक आम सभा की बैठक की अध्यक्षता की।

कोरम

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि बैठक के लिए अपेक्षित सदस्यगण इस वार्षिक आम सभा मे उपस्थित है, बैठक/सदन की शुरुआत किया गया।

उपस्थित सभी सदस्यों की अनुमति से, वार्षिक आम सभा बुलाने की सूचना जो पूर्व में सभी सदस्यों को दिया गया था, पुनः आज के चर्चा के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया।

सभा का संचालन

माननीय जिला संघों के प्रतिनिधि सह क्रिकेट गतिविधियों के प्रभारी श्री संजय कुमार सिंह के द्वारा सभा का संचालन की गई। सभा की शुरुआत माननीय जिला संघों के प्रतिनिधि सह क्रिकेट गतिविधियों के प्रभारी श्री संजय कुमार सिंह ने आगत अतिथियों के स्वागत से करते हुए बिहार की वर्तमान स्थिति से सबों को अवगत कराया। श्री सिंह ने बीसीए के निबंधन विभाग से अब तक बीसीए के सविधान के निबंधित नहीं होने तथा बैंक खाता पर लगी रोक से हो रही बिहार क्रिकेट की हानि पर सविस्तार प्रकाश डाला।

जिस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने एक मत से बीसीए अध्यक्ष को इस मामले के समाधान के लिए कारवाई करने और समाधान करवाने हेतु अधिकृत किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने उपस्थित सदस्यों को श्री संजय सिंह के द्वारा बताए गए समस्या पर बताया की आज हमलोगों का 100 करोड़ से अधिक का अनुदान बीसीसीआई में बकाया है और हम कुछ क्रिकेट विरोधियों की साजिश के शिकार होकर परेशान है। लेकिन आप सबों को आश्वस्त करता हूँ की शीघ्र हीं सभी मामलों का समाधान हो जाएगा। श्री राकेश कुमार तिवारी ने सदन को अभी तक संपन्न बीसीए के कार्य-कलापों, कमिटी ऑफ़ मैनेजमेंट के बैठकों, इन बैठकों मे लिए गए निर्णयों एवं आगे की कार्य योजानायो के बारे मे बताया, जिसपर सदन ने संतोष जताते हुए इस COM के सभी पूर्व के निर्णयों को इस सदन से भी पास कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह ने क्रिकेटिंग गतिविधियों में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए जिला संघों से अपने स्तर से सचेत रहने का सुझाव दिया।

इसके बाद आम सभा में वर्णित एजेंडों पर चर्चा प्रारम्भ हुआ:

एजेंडा संख्या : A
निर्णय : पूर्व के आम सभा, 25 सितंबर 2020 के आम सभा में लिए गए निर्णयों को पढ़ कर सदन को सुनाया गया जिसे सदन द्वारा ध्वनिमत से संपुष्टि प्रदान की गई।

Rakesh Kumar Tiwary

Affiliated to BCCI
bca@biharcricketassociation.com

एजेंडा संख्या : B
निर्णय : सचिव के स्तर से प्रस्तुत रिपोर्ट को चर्चा के बाद पारित किया गया।

एजेंडा संख्या : C & D
निर्णय : कोषाध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि GM Admin श्री नीरज सिंह जो इस काम को देख रहे थे कि गिरफ़्तारी दो दिन पहले शराब के मामले मे हुई है और वे जेल में है। इनका कमरा पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है, इसके साथ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी है। चर्चा के पश्चात् समीक्षाधीन वर्ष के लिए कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों की संपुष्टि तथा अन्य मामलों के लिए आम /विशेष आम सभा की बैठक निकट भविष्य में आहूत करने का निर्णय लिया गया।

एजेंडा संख्या : E
निर्णय : आडिटर के रिपोर्ट को अगले एस.जी.एम में संपुष्टि किए जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान आडिटर के कार्य कलाप के संदर्भ में कोषाध्यक्ष के द्वारा मामला चर्चा के लिए पटल पर रखा गया। कोषाध्यक्ष ने सदन को बताया की आडिटर के द्वारा किए जाने वाले कार्य में लेट-लतीफी हो रही है। अत; इस आडिटर को बदलने और उसके स्थान पर नए आडिटर की नियुक्त की आवश्यकता है। इस पर चर्चा करते हुए बहुमत से सदस्यों ने कोषाध्यक्ष से अनुरोध किया कि कार्यरत आडिटर से एक बार मौखिक रूप से बात करके उन्हे कार्य अविलंब पुरा करने का पुनः निर्देश दे। अगर आडिटर समय से कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं, तो उनके स्थान पर किसी भी सक्षम आडिटर को एक टर्म के लिए अध्यक्ष श्री राकेश तिवारी से राय-विमर्श कर नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया।

एजेंडा संख्या : F
निर्णय : नैतिक अधिकारी के रूप में श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) की नियुक्ति एक साल के लिए की जाती है, जबकि लोकपाल के लिए पटना उच्य न्यायालय की अवकाश प्राप्त माननीया न्यायाधीश श्रीमति नीलू अग्रवाल को नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त करते हुए उनसे वेतनादि मामलों पर अंतिम वार्ता हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। विदित हो कि पूर्व में श्रीमति नीलू अग्रवाल कि नियुक्ति 3 लाख रुपया प्रतिमाह के वेतन पर हुई थी, जिसपर बहुमत से सदस्यों ने लोकपाल की नयी नियुक्ति एवं वेतन आदि विषयो पर जस्टिस नीलू अग्रवाल से सहमति बनने तक प्रभारी लोकपाल के रूप मे जस्टिस श्री राघवेन्द्र प्रसाद सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) से सहमति लेकर कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की। श्री आशुतोष नंदन सिंह (कोषाध्यक्ष) ने सदन को बताया कि COA के एडवाइजरी रिपोर्ट मे यह भी प्रावधान है कि वितीय संकट के स्थिति मे यदि एक ही व्यक्ति जो लोकपाल एवं नैतिक अधिकारी दोनों के पात्रता को पुरा करते है को भी नियुक्त किया जा सकता है। इस के द्वारा BCA का पैसा की भी बचत होगी। चर्चा के पश्चात् बहुमत सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी को इस पर जस्टिस श्री राघवेन्द्र प्रसाद सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) से बात कर जबतक लोकपाल की बहाली नहीं होती है रूपए 2,50,000/- प्रतिमाह पर नैतिक अधिकारी सह प्रभारी लोकपाल के रूप में कार्य करने की सहमति लेने के लिए अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या : G
निर्णय : नियम 28 और 29 में उल्लिखित क्रिकेट समितियों और स्थायी समितियों की नियुक्ति को संपुष्ट करते हुए कमेटी – सब कमेटी सीजन 2021-2022 के लिए नियुक्ति को संपुष्टि की गई तथा समितियों, उप समितियों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने तथा वर्तमान सदस्यों में बदलाव के लिए एवं इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार नई समितियों के गठन एवं पुराने के पुनर्गठन के लिये अध्यक्ष को बहुमत से अधिकृत किया गया।

एजेंडा संख्या: H -1
निर्णय : 25 सितंबर 2020 के बाद हुए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में लिए गए सभी निर्णयों और सीईओ के द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुए, चर्चा उपरांत सदन में उपस्थित सदस्यों ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट

Rakesh [signature]

Affiliated to BCCI
bca@biharcricketassociation.com

में लिए गए सभी निर्णयों और सीईओ के द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट एवं सीईओ के क्रिया-कलापों पर संतोष जताते हुए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में लिए गए सभी निर्णयों और सीईओ के द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट बहुमत से पारित किया। सीईओ ने सदन को BCA के नए लेटरहेड को प्रस्तुत किया एवं सदन को बताया कि कमिटी ऑफ़ मैनेजमेंट के निर्णय जिसमे श्री आदर्श अग्रवाल के द्वारा सुझाये गए प्रारूप पर नए वेबसाइट बनाने का कार्य चल रहा है। फण्ड के आभाव में वेबसाइट बनाने की प्रगति धीमी है, पर जल्द ही इसे पूरा कर लिया जायेगा। नए लेटरहेड एवं वेबसाइट पर चर्चा के बाद दोनों के प्रस्तावित डिजाईन को बहुमत से सदन ने पारित कर दिया।

एजेंडा संख्या : H-2

निर्णय : इस एजेंडा पर गवर्निंग काउंसिल के संयोजक श्री ओमप्रकाश तिवारी के द्वारा कोई भी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखा गया। इस पर आपति उठाते हुए श्री संजय कुमार सिंह (जिला प्रतिनिधि सह क्रिकेट संचालन) ने श्री ओमप्रकाश तिवारी के क्रिया कलापों पर मनमाने तरीके से कार्य करने का आरोप लगते हुए सदन को बताया कि इनके द्वारा तय मनको की अवहेलना की गई है। श्री ओमप्रकाश तिवारी ने BCL के सारे कार्यदिश निर्गत किये है। कार्यदिश देते समय उन्होंने एक षडयत्र के तहत सचाई को छुपाते हुए, उन फर्मो को BCL का कार्य दिया है जिनसे उनकी सम्बन्ध थे। श्री संजय ने आगे सदन को बताया कि ओमप्रकाश तिवारी एवं BCL के सीओओ (COO) के गलत निर्णय एवं नीति के कारण BCL में घाटा की सम्भावना है। जिसे छिपाने के मकसद से सदन पर BCL के क्रिया-कलाप की जानकारी नहीं दी जा रही है। मोतिहारी क्रिकेट संघ के श्री ज्ञानेस्वर गौतम ने सदन को बताया कि गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन श्री संजीव रतन सिंह (सोना सिंह) ने भी अपना इस्तीफा गवर्निंग काउंसिल से देने की मंशा बताया है। उन्होंने BCL के बाबत सीईओ, जो कि BCL गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते है, BCL के ऊपर अपना मनतब्य देने का आग्रह किया। सीईओ ने माननीय अध्यक्ष के अनुमति से सदन को बताया कि BCL में कार्यो का संपादन एजेंसी, संयोजक एवं सीओओ एवं अन्य के द्वारा सम्पादित करवाया गया है। BCL के दौरान गलत नीति एवं फैसले के कारण अपना इस्तीफा का पेशकश दिया था। गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के मौखिक अनुरोध पर, BCL के संपादन के Running Expenses के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने पर अपनी सहमती इस शर्त पर प्रदान की थी कि वितीय सभी लेनदेन की जिम्मेवारी गवर्निंग काउंसिल के संयोजक, सीओओ एवं अन्य की होगी एवं संयोजक या कोषाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर के बाद ही सीईओ अपना हस्ताक्षर चेक पर करेगे। सहरसा के प्रतिनिधि श्री बादल ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नियमावली का हवाला देते हुए बताया कि गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन एवं एक सदस्य का चयन AGM से तीन साल के लिए होता है जबकि बाकी सभी का कार्यकाल एक साल का होता है। श्री सोना सिंह, श्री मनीष राज के इस्तीफा का पेशकश एवं श्री संजय कुमार सिंह (जिला प्रतिनिधि सह क्रिकेट संचालन) के द्वारा संयोजक के क्रिया-कलापों पर उठाये गये आपति पर सदन को बताया कि संयोजक के कार्य पर अविलम्ब रोक लगाने की जरुरत है साथ ही साथ संयोजक के काम की जाँच BCA के एंटी-करप्शन से या किसी जाँच एजेंसी से करवाई जाये। जिला प्रतिनिधि सह क्रिकेट संचालन ने सदन को बताया कि BCL के एकाउंट्स का कार्य चल रहा है इसके लिए संयोजक के जगह एक कार्यकारी संयोजक की आवक्श्यकता होगी। इस पर माननीय अध्यक्ष ने सदन में उपस्थित सदस्यों से कार्यकारी संयोजक के लिए नाम सुझाने का अनुरोध किया। जिसपर सदस्यों द्वारा विभिन्न नाम सुझाये गए। सदन में चर्चा के पश्चात बहुमत से निर्णय लिया गया की:

1. BCL का गठन मनोनयन के आधार पर किया गया था। तत्काल प्रभाव से गवर्निंग काउंसिल को भंग किया जाता है एवं श्री ओमप्रकाश तिवारी (संयोजक गवर्निंग काउंसिल) के क्रिया-कलापों एवं लिए गए निर्णयों की जाँच एंटी-करप्शन या किसी जाँच एजेंसी से करवाई जाये।
2. श्री ओमप्रकाश तिवारी (संयोजक गवर्निंग काउंसिल) के जगह पर गया जिला संघ के मास्टर पुलस्कर सिंह के द्वारा प्रस्तावित गया जिला के श्री अरविन्द कुमार सिंह को BCL के खाता-बही एवं अन्य कागजात को सही करने हेतु तदर्थ व्यवस्था के लिए कार्यकारी संयोजक नियुक्त किया जाता है। श्री अरविन्द कुमार सिंह गवर्निंग काउंसिल के चुनाव या गठन/पुनर्गठन तक कार्य करते रहेगे और इस दौरान BCL के एकाउंट्स एवं अन्य कार्यो का काम पूरा करवाने हेतु सभी दस्तावेज के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगे।

Ravel 14-7-14

Affiliated to BCCI
bca@biharcricketassociation.com

3. सदन ने बहुमत से इस की सहमती दी की BCL के एकाउंट्स को पूरा करवाने एवं ऑडिट का कार्य पूरा करवाने के लिए श्री संजीव रतन सिंह उर्फ़ सोना सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह (कार्यकारी संयोजक) एवं श्री मनीष राज (सीईओ) में से कोई दो या सभी हस्ताक्षर कर सकते है।
4. श्री ओमप्रकाश तिवारी (संयोजक गवर्निंग काउंसिल) जाँच रिपोर्ट आने तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन या किसी भी जिला क्रिकेट संघ या राज्य /जिला के किसी भी कमिटी, कलब या क्रिकेट से सम्बंधित किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते है एवं BCL के सभी कागजात एवं उपस्कर BCL के चेयरमैन, कोषाध्यक्ष या सीईओ को अवलम्ब हस्तगत करवाते हुए पावती ले लेगे। इस अवधी में ओमप्रकाश तिवारी कलब के सदस्ययता से निलंबित रहेगे।
5. सदन ने बहुमत से BCA के कमिटी ऑफ़ मैनेजमेंट को गवर्निंग काउंसिल के मामले मे चुनाव या गठन / पुनर्गठन के लिए अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या : H-3
निर्णय : सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में संविधान में किए गए संसोधन को संपुष्ट किया गया। जिला प्रतिनिधि सह क्रिकेट संचालन श्री संजय कुमार सिंह ने सदन को बताया कि पूर्व के आम/विशेष आम सभा द्वारा श्री कुमार अरविन्द को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संशोधित आलेख के आलेखन के लिए अधिकृत किया गया था। श्री कुमार अरविन्द के द्वारा समय-समय पर हस्ताक्षरित कागजात निबंधन विभाग को समर्पित किया जाता रहा है, जिसकी सूचना ससमय श्री कुमार अरविन्द द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के विभिन बैठकों में एवं सभा में दी जाती रही है। दिनाक 16-08-2021 को श्री कुमार अरविन्द द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ श्री मनीष राज के साथ की गई अमर्यादित आचरण के बाद कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में कुमार अरविन्द के काम पर रोक लगाते हुए मामले को माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष संविधान की सुसंगत धारा के तहत दाखिल किर दिया गया। कुमार अरविन्द ने अपने कृत्य से बचने हेतु बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर दबाब बनाने के प्रयास में निबंधन विभाग में संघ के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है एवं आलेख के आलेखन न करने की मांग की है, जो कि निराधार, निर्रर्थक एवं संघ विरोधी है। इस पर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर में कु मार अरविन्द के इस कृत्य की कड़ी निन्दा की, तथा मामले की स्थिति व सत्य से निबंधन विभाग को अवगत कराने का निर्णय लिया गया, ताकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संसोधित संविधान के आलेख का आलेखन हो सके। पूर्व में वार्षिक आम सभा / आम सभा / विशेष सभा से निबंधन कार्य हेतु अधिकृत कुमार अरविन्द के स्थान पर उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संशोधित आलेख के आलेखन के लिए अधिकृत करने का निर्णय एकमत से पारित किया गया। निबंधन विभाग को कुमार अरविन्द के इस कृत्य को बताने के लिए उपाध्यक्ष/सीईओ को अधिकृत किया गया कि वो अपने हस्ताक्षर से कुमार अरविन्द के द्वारा पूर्व में निबंधन विभाग में समर्पित दस्तावेज जो सत्य है पुनः अभिप्रमाणित करते हुए समर्पित करे एवं कुमार अरविन्द पर कठोरतम कार्यवाई करने के लिए माननीय अध्यक्ष को अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या : H-4
निर्णय : लोकपाल और नैतिक अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को संपुष्ट किया गया ।

एजेंडा संख्या : J
निर्णय : माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी को बीसीसीआई के किसी भी बैठक / चुनाव हेतु उमीदवारी/ वोटिंग हेतु बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से अधिकृत किया गया।

एजेंडा संख्या : K-1

Rakesh Kr Tiwary

Affiliated to BCCI
bca@biharcricketassociation.com

निर्णय : अध्यक्ष के अनुमति से खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने खगड़िया के परवत्ता में 7.5 एकड़ जमीन क्रिकेट मैदान का निर्माण हेतु बीसीए को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव दिया जिस पर सहमति देते हुए सदन के सदस्यों ने उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष महोदय को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या : K-2
निर्णय : अध्यक्ष के अनुमति से बीसीए जीएम नीरज सिंह के शराब मामले में ज्ञानेश्वर गौतम ने नीरज सिंह पर बीसीए की संपत्ति का गलत उपयोग करने, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नाम एवं साख को ख़राब करने तथा बिहार सरकार के आदेश का उलंघन करने का मामला उठाते हुए कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की जिस पर अध्यक्ष ने सदन को बताया कि बीसीए जीएम नीरज सिंह के शराब मामले मे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए उनको कार्यमुक्त करते हुए निलंबित कर दिया गया है। इसपर सदन के सभी सदस्यों ने नीरज सिंह के ऊपर उठाये गए निर्णय को सही बतया साथ ही उनको पद मुक्त करने व अन्य प्रतिबंध लगाने की मांग की। जिस पर सदन ने ध्वनिमत से नीरज सिंह के निलंबन के कार्यवाही को सही बताते हुए माननीय अध्यक्ष को नीरज सिंह के मामले में अग्रेतर उचित करवाई करने के लिए अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या : K-3
निर्णय : अध्यक्ष के अनुमति से पटना जिला क्रिकेट संघ का विवाद भी सदन के समक्ष रखा गया, जिस पर अध्यक्ष ने किए गए कारवाई से सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि: "पटना जिला क्रिकेट संघ में हाल के महीनों में पूर्व से चल रहे विवाद को समाप्त कर दोनों गुट (एक हीं सी ओ एम के दो गुट) ने मिल कर कार्य करने पर सहमत हुए और पटना जिला क्रिकेट संघ सुचारु रूप से चलने लगा। मगर बीते दिन अध्यक्ष में कमेटी को लोढ़ा कमेटी के आलोक में सदस्यों की अयोग्यता का मामला लाकर भंग कर दिया, जबकि पटना जिला क्रिकेट संघ के कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष को हीं निलंबित कर दिया" अध्यक्ष महोदय ने सदन को इस मामले पर बताया की मेरी मनसा पटना या किसी भी जिला के साथ छेड़-छाड़ करने की नहीं है, मैंने लीगल कमेटी की राय लेकर विवाद से पूर्व की स्थितिकों बहाल करते हुए पूरे मामले को लोकपाल महोदय को सुपूर्त कर दिया है और उनसे दैनिक सुनवाई कर इस मामले को शीघ्र निष्पादित करने का आग्रह किया है। सभी सदस्यों ने अध्यक्ष के निर्णय से सहमति जताते हुए, अध्यक्ष को इस मामले में अग्रेतर कारवाई करने के लिए अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या : K-4
निर्णय : अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बेतिया जिला संघ के श्री राजकुमार ने सदन को बताया कि गया एवं दरभंगा जिला मे तदर्थ समिति (ad hoc committee) बनी हुई है, जिससे इन जिलो मे क्रिकेट का संचालन सुगमता से नियमानुसार हो पा रहा है। श्री राजकुमार ने सदन को बताया कि बिहार के कई जिलो मे चुनाव नहीं हुआ है एवं आपसी विवाद होने के कारण क्रिकेट का संचालन नियमानुसार, सुगमता से होने मे कठनाईया होती रहती है। जिसके कारण कई जिला संघो की मांग तदर्थ समिति (ad hoc committee) बनाने की है एवं जिसपर निर्णय लिया जाना बाकी है। सदन मे इस विषय के सभी पहलुओं पर काफी लम्बे चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत सदन ने बहुमत से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं जिला प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया कि उचित सलाह-मशवरा ले कर जहाँ भी जिलो के कमिटी का कार्यकाल समाप्त हो गया है एवं चुनाव नहीं हुआ है वहाँ अविलम्ब तदर्थ समिति (ad hoc committee) बनाते हुए आगे की कार्यवाही संपन्न करवाया जाए।

एजेंडा संख्या : K-5
निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के आगामी चुनाव हेतु चुनाव पदाधिकारी के रुप में Dr. M. Modassir **(M.Sc. MBA, Ph. D.) (Retd. IAS), EX-State Election**

Commissioner जिनको चुनाव कार्य का काफी अनुभव है साथ ही इन्होने विभिन्न राज्यों के क्रिकेट संघ का भी चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाया है कि नियुक्ति एवं नियुक्ति के शर्तो के संदर्भ में सदन को बताया,

Affiliated to BCCI
bca@biharcricketassociation.com

जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर अग्रेतर कारवाई के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया। साथ ही यह स्पष्ट निर्णय बहुमत से लिया गया कि 2019 के चुनाव मे जो नियमावली/प्रक्रिया उस समय के चुनाव अधिकारी द्वारा अपनाई गई थी, वही नियमावली / प्रक्रिया आगामी चुनाव मे यथावत रहेगी। छपरा क्रिकेट संघ के श्री संजय सिंह ने सदन को बतया कि चुनाव को ससमय से करवाया जाये (क्योकि चुनाव के समय ही BCCI के डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए बिहार के क्रिकेट टीम का गठन होना है) । यदि न्यायलय, प्रकृति आपदा, कोविद-19, सरकारी या किसी तरह का अड़चन आता है, तो क्रिकेट प्रभावित होगा। हम सभी जिला और राज्य संघ का मुख्य कार्य क्रिकेट एवं क्रिकेटर का उथात्र है। इस विषय पर भी निर्णय लेने की जरुरत है। इस पर विस्तृत चर्चा के पश्चात सदन में उपस्थति सदस्यों ने बहुमत से निर्णय लिया कि यदि उपर वर्णित कोई समस्या आता है तो वर्तमान में कार्यरत बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कमिटी ऑफ़ मैनेजमेंट, तबतक कार्य करते रहेगा जबतक नई कार्यकारणी का गठन/पुनर्गठन नहीं हो जाता है, जिससे क्रिकेट का संचालन सुगमता से हो सके।

एजेंडा संख्या : K - 6
निर्णय : अध्यक्ष महोदय के अनुमति से छपरा जिला संघ के श्री संजय कुमार ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के गत चुनाव के प्रक्रिया एवं नियमावली को पढ़ कर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को सुनाया, इस पर चर्चा करने के बाद सदन में बहुमत से चुनाव के प्रक्रिया और नियमावली को पारित कर दिया।

एजेंडा संख्या : K - 7
निर्णय : अध्यक्ष महोदय के अनुमति से सीईओ ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कार्यरत सभी तरह के कर्मचारियों के सैलरी, वकीलों & नैतिक अधिकारी सह प्रभारी लोकपाल के एवं एडिशनल रिटेनर श्री राणा बिक्रम सिंह के नियुक्ति के नवीकरण एवं मानदेय एवं अन्य बकाया का मामला सदन में रखा। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् सदन ने बहुमत से निर्णय लिया:

1. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कार्यरत सभी तरह के कर्मचारियों के सैलरी, वकीलों & नैतिक अधिकारी सह प्रभारी लोकपाल के मानदेय एवं अन्य तरह के बकाया के भुगतान के लिए बीसीसीई (BCCI) को पुनः पत्र लिखा जाये।
2. श्री राजीव कुमार सिंह (अधिवक्ता हाईकोर्ट), श्री ललित किशोरे जी (महाधिवक्ता), श्री पी.के. साही (अधिवक्ता) सुप्रीम कोर्ट के श्री संतोष मिश्रा (अधिवक्ता) एवं एडिशनल रिटेनर श्री राणा बिक्रम सिंह (इनकी सेवा का नवीकरण सत्र 2021-2022 के लिए करते हुए) अन्य अधिवक्ताओं के प्रोफेशनल फीस के संबध में निर्णय लिया गया कि BCA को फण्ड मिलने पर इनका भी भुगतान BCA से किया जायेगा।

इसी के साथ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद् ज्ञापन के साथ वार्षिक आम सभा का आज के लिए किया समाप्त किया गया।

राकेश कुमार तिवारी
अध्यक्ष सह कार्यकारी सचिव
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार, पटना